सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के अनुमति एवं लाइसेंस प्राप्त करने एवं अन्य आमोद संचालन हेतु आवेदन की प्रकिया

1. सिनेमा निर्माण हेतु जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन–

सिनेमागृह निर्माण के इच्छुक व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को इस निमित्त प्रार्थना पत्र साइट प्लान के साथ प्रस्तुत करने के साथ निरीक्षण के लिये नियत शुल्क जमा कराया जाता है। इस सम्बंध में साइट प्लान का भौतिक सत्यापन/ स्थल निरीक्षण विभागीय अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा–5 एवं उ0प्र. चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम–7 के अंतर्गत परीक्षण किया जाता है। साइट नियमानुकूल पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साइट का अनुमोदन करते हुये भवन के निर्माण सम्बंधी विस्तृत नक्शे उ0प्र0 आमोद एवं पणकर नियमावली, 1951 के नियमों के अंतर्गत तकनीकी दृष्टि से अनुकूल होने के सम्बंध में मानचित्रों का परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता व स्थानीय निकाय/सम्बंधित विकास प्राधिकरण से सम्बंधित प्राविधानों के अंतर्गत अनुमोदन कराया जाता है। उक्त के अनुमोदन के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उ0प्र0 चलचित्र नियमावली,1951 के नियम 3(3) के अंतर्गत निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करते हुये मानचित्रों का भी अनुमोदन किया जाता है। सिनेमा स्वामी प्रथम बार ही आवेदन पत्र के साथ सिनेमा के साइट प्लान के साथ साथ मानचित्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लाइसेंस की प्रकिया–

सिनेमा भवन तैयार हो जाने के बाद सिनेमा स्वामी द्वारा सिनेमा के मालिकाना हक, सिनेमेटोग्राफ मशीन के सम्बंध में हलफनामा/अभिलेखीय साक्ष्य जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराना होता है। विभागीय अधिकारी/लोक निर्माण विभाग के अधिषाशी अभियंता द्वारा भवन की जॉच की जाती है कि भवन अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार ही बनाया गया है अथवा नहीं तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है अथवा नहीं। आर्किटेक्ट से भवन निर्माण की श्रेष्ठता के सम्बंध में प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। यह सुनिश्चित हो जाने के उपरांत कि भवन नियमानुसार तैयार हो गया है ,तब जन सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत सुरक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग तथा अग्निशमन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत उ.प्र. चलचित्र नियमावली 1951 के नियम 4 के अंतर्गत सिनेमा स्वामी द्वारा लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तदोपरांत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण संतुष्टि के बाद छविगृह को निर्धारित फीस जमा करने के उपरांत लाइसेंस उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमवाली,1951 के नियम 9 के अंतर्गत जारी किया जाता है ,जो अधिकतम तीन वर्षो के लिये एक बार जारी किया जा सकता है।

3. अन्य आमोदों की अनुमति हेतु प्रकिया–

अन्य आमोद के संचालन हेतु आमोद स्वामियों को विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु संम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन करना होता है ।